भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1412
28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति

1412. **श्री चंदन चौहानः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और प्रोत्साहन कार्यान्वित किए हैं;
(ख) क्या सरकार देशभर में मानकों, चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी रीसाइक्लिंग, सुरक्षा मानकों और प्रोत्साहनों में एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति या राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रही है;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों, उद्योग जगत और अनुसंधान संस्थानों के साथ परामर्श किया है;
(घ) क्या प्रस्तावित नीति/रूपरेखा के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), बैटरियों और अन्य प्रमुख घटकों के स्वदेशी विनिर्माण तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने का कोई प्रावधान है; और
(ङ) सरकार द्वारा देशभर में एक संतुलित और समन्वित ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : जी हाँ ।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय में कोई राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति या राष्ट्रीय रूपरेखा विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) और (घ) : भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ) : सरकार द्वारा संतुलित और समन्वित ईवी पारितंत्र विकसित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमें इस प्रकार हैं:

(i) भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II : सरकार द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना (ईवी पीसीएस) के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम इंडिया स्कीम -चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,197 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही, देशभर में ईवी पीसीएस की स्थापना के लिए स्कीम के अंतर्गत ₹912.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई।

(ii) भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो) : सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

iii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम : सरकार ने 09.06.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करना है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों

(ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन (40 लाख) से अधिक जनसंख्या वाले सात शहरों नामतः दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 200 ई-बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम : 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% डीवीए और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए प्राप्त करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं :-

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्टिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5-प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की पंजीकरण (ग्रीन) नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

****